

7-हस्तशिल्पी पेंशन योजना-

इस योजनान्तर्गत हस्तशिल्पियों को पुरस्कार दिये जाने की व्यवस्था है, जिसके लिए महिला अभ्यर्थियों 55 वर्ष पुरुष 60 वर्ष का होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास पक्का मकान व चार पहिया वाहन न हो। अभ्यर्थी को रू0 500/-प्रतिमाह की दर से दी जाती है।

अधिकारी का नाम-श्री संजय कुमार, उपायुक्त उद्योग
मोबाइल नम्बर-9415657771



उपायुक्त उद्योग
जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र
हरदोई।